


4/4/23 दिनांक 3/4/23 का अवकाश होने के कारण आज पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपलित/पत्रावली का अवकाश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तल्ली हेतु बार-बार अवसर दिए जाने के उपरान्त न्यायालय के आदेश की वादी द्वारा पालना नहीं कराई गयी। अतः मूल नॉ 09R-2, 09R-5 में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम है। वाद वकील दाखिल नफ्तार होना सुनाया गया।


सहायक क्लर्क
दरौड (अन्वय) रज.